राजस्थान सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक प.32(बी) (1) आब/एल/2009/ 4356 दिनांक : 23.06.2009

वर्ष 2009–10 के लिये पड़त देशी मदिरा समूहो के बन्दोबस्त के सम्बन्ध मे सूचना

वर्ष 2009–10 के आबकारी बन्दोबस्त मे वर्तमान मे जिले बूंदी , झालावाड व जोधपुर के एक–एक पड़त चल रहे देशी मदिरा दुकान समूहो के लिये उनकी परिवर्तित अवस्थिति हेतु ऐसे पड़त समूह की मूल रुप से निर्धारित वार्षिक राशि की 65 प्रतिशत राशि या उससे अधिक पर प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते है । परिवर्तित अवस्थिति की सूचना विभागीय वेबसाइट www.rajexcise.org पर तथा सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है । इस हेतु शेष शर्ते पूर्व सूचना अनुरुप रहेगी ।

इस सूचना के क्रम मे पडत समूहो हेतु प्रस्ताव दिनांक 29.06.2009 को अपरान्ह 3.00 पी.एम. तक दिये जा सकेंगे। प्राप्त प्रस्ताव उसी दिन अपरान्ह 4.00 पी.एम. पर उपस्थित प्रस्तावकर्ताओं के समक्ष सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में खोले जायेंगे।

उक्त अनुसार निर्धारित समय सीमा में यदि किसी समूह हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नही होता है तो उसके पश्चात् प्रस्ताव "**प्रथम आवे प्रथम पावे**" (first come first served) के आधार पर स्वीकार किये जा सकेगें बशर्ते कि उनकी राशि निर्धारित वार्षिक राशि की 65 प्रतिशत राशि से कम नही हो ।

आबकारी आयुक्त
राजस्थान उदयपुर